

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 8(29)त.शि./2003 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 21 मार्च, 2012

:: आदेश ::

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2010 के नियम 4 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 से आवृत्त होने वाले वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता/ए.टी.पी.ओं/शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) को केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के तहत सलेक्शन ग्रेड (राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2001 के तहत वेतनमान 12000-420-18300) का लाभ दिये जाने हेतु अनुशंसा किये जाने की अनुपालना में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से लाभ निम्न शर्तों के अधीन दिया जाता है :-

- 1 राज्यादेश संख्या एफ 8(29)टी.ई./2003 पार्ट दिनांक 1.9.2010 के नियम 1.2(ii) के प्रावधानानुसार विद्यमान वरिष्ठ प्रवक्तागण/प्रवक्तागण जो दिनांक 1.9.1996 से पूर्व नियमित नियुक्त हैं उन्हें उच्च योग्यता में छूट प्रदान करते हुए सीनियर स्केल से सलेक्शन ग्रेड का लाभ दिया गया है। दिनांक 1.9.96 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को वर्तमान नियमों में छूट देय नहीं है।
- 2 राज्यादेश संख्या एफ 8(29)टी.ई./2003 पार्ट दिनांक 1.9.2010 के प्रावधानानुसार पूर्व में जिन अधिकारियों को सीनियर स्केल का लाभ दिया गया है, पी.एच.डी. धारकों के (तकनीकी प्रवक्तागणों) अतिरिक्त उन्हें सलेक्शन ग्रेड का लाभ मूल आवश्यक वांछित कोर्सेज (orientation/referresher/industrial training) वर्ष 2015 तक पूर्ण किये जाने की शर्त पर देय होगा। इस शर्त की पूर्ति नहीं करने पर सीनियर स्केल एवं सलेक्शन ग्रेड के दोनों लाभ पूर्ववर्ती प्रभाव से वापस लिये हुये (withdrawn) माने जायेंगे। इस हेतु प्रत्येक लाभार्थी से उक्त स्कीम का लाभ दिये जाने से पूर्व इस आशय का एवं उक्त लाभ प्राप्त किये जाने से यदि किसी प्रकार से अधिक भुगतान प्राप्त हो जाता है तो वसूली कराये जाने की वचनबद्धता का बन्ध पत्र रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्बन्धित प्राधानाचार्य एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरवा कर प्राप्त किया जायेगा।
- 3 उक्त स्कीम का लाभ दिये जाने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता/उच्च शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन सम्बन्धित प्राधानाचार्य एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा दिनांक 1.9.1996 से दिनांक 31.12.1998 तक वेतन एवं भत्तों के एरियर का लाभ देय नहीं होगा।
- 4 राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 के प्रवृत्त में आने के पश्चात् उक्त नियम के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों/माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई तत्सम्बन्धी याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन उक्त लाभ देय होगा।
- 5 जिन शिक्षकों ने प्रमोशन छोड़कर केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ लेने का विकल्प नहीं दिया है उनको केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम आदेश दिनांक 1-9-2010 के प्रावधानों के अनुसार केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ देय नहीं है। अतः उनके नाम आदेश में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।



दिनांक 10.01.2011 को आयोजित बैठक के समय वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण विचार नहीं हो पाया ऐसे प्रकरणों का रिज्यू किया गया।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता / सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी / शैक्षणिक अधिकारी सीनियर स्केल देने की तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता / सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी / शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) देने की तिथि के पश्चात् सी.ए. एस. के अन्तर्गत आवश्यक अनुभव अवधि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता / सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी / शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) को प्रवक्ता (सलेक्शन ग्रेड) देने की तिथि	सहायक निदेशक / विभागाध्यक्ष पद पर नियमित पदोन्नति वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्रीमती अंजना माथुर	प्रवक्ता अतकनीकी (एस.एस.)	एम.एस.सी.	30.6.86	1.9.96	5 वर्ष	1.9.01	-
	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	प्रवक्ता अतकनीकी (एस.एस.)	एम.एस.सी.	12.12.89	1.9.96	5 वर्ष	1.9.01	-
	श्री प्रेमचन्द मेघवाल	प्रवक्ता विद्युत (एस.एस.)	बी.ई.	16.8.96	16.8.2002	5 वर्ष	16.8.2007	-

(ii) न्यायालय के आदेशों की पालना में सी.सी.ए. नियमों के तहत दण्डित प्रकृति के प्रकरण के रिज्यू उपरान्त निम्न प्रवक्तागणों सारणी के नीचे उल्लेखित कारणों के परिणामस्वरूप केरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ तदनुसार देय होगा -

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता / प्रवक्ता सीनियर स्केल देने की तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता / प्रवक्ता (सीनियर स्केल) देने की तिथि के पश्चात् सी.ए.एस. के अन्तर्गत आवश्यक अनुभव अवधि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता / सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी / शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) को प्रवक्ता (सलेक्शन ग्रेड) देने की तिथि	सहायक निदेशक / विभागाध्यक्ष पद पर नियमित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री अशोक कुमार सनादय	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (एस.एस.)	बी.ई.	1.7.91	1.7.97	5 वर्ष	1.7.2003	-
2.	श्री गजेन्द्र सिंह	प्रवक्ता यांत्रिकी (एस.एस.)	ए.एम.आई.ई.	23.7.93	23.7.99	5 वर्ष	23.7.05	-
3.	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह सैंगर	प्रवक्ता यांत्रिकी (एस.एस.)	एम.ई. 24.10.94	11.6.96	11.6.04	5 वर्ष	11.6.09	-
4.	श्रीमती अनुपमा अग्रवाल	प्रवक्ता अतकनीकी (एस. एस.)	पी.एच.डी. 1996	13.12.89	1.9.2000	5 वर्ष	1.9.2005	-

(iii) अनुभव के लिए वांछित अवधि में एम.ई./एम.टेक. डिग्री अर्जित होने के आधार पर केरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ निम्नानुसार देय होगा:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता / प्रवक्ता सीनियर स्केल देने की तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता / प्रवक्ता (सीनियर स्केल) देने की तिथि के पश्चात् सी.ए. एस. के अन्तर्गत आवश्यक अनुभव अवधि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता / सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी / शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) को प्रवक्ता (सलेक्शन ग्रेड) देने की तिथि	सहायक निदेशक / विभागाध्यक्ष पद पर नियमित पदोन्नति वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्री जितेन्द्र आनन्द	प्रवक्ता यांत्रिकी (एस.एस.)	एम.ई. 28.5.2010	2.9.96	2.9.2002	5 वर्ष	28.5.2010	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्रीमती शालिनी गर्ग	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (एस.एस.)	एम.ई. 28.3.2008	14.8.97	14.8.2003	5 वर्ष	14.8.2008	-
	श्रीमती कविता स्वामी	प्रवक्ता अतकनीकी (एस.एस.)	पीएचडी 21.9.06	14.9.96	14.9.2002	5 वर्ष	14.9.2007	-
	श्री राजेश सोनानिया	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (एस.एस.)	एम.ई. 26.8.2008	21.8.97	21.8.2003	5 वर्ष	26.8.2008	-
	श्री नितिन राजवंशी	प्रवक्ता कम्प्यूटर (एस.एस.)	एम.ई. 30.1.10	10.4.97	10.4.2003	5 वर्ष	30.1.2010	-
	श्री शैलेन्द्र शुक्ला	प्रवक्ता कम्प्यूटर (एस.एस.)	एम.ई. 6.8.10	28.6.97	28.6.2003	5 वर्ष	6.8.2010	-
	श्रीमती महिमा नागर	प्रवक्ता प्रोडक्शन (एस.एस.)	एम.टेक. 8.9.06	15.4.97 (मध्यान्ह पश्चात)	16.4.2003	5 वर्ष	16.4.2008	-
	श्री रामदयाल राठौड़	प्रवक्ता विद्युत (एस.एस.)	एम.ई. 16.12.08	24.2.99	24.2.2005	5 वर्ष	24.2.2010	-
	श्री रजत सुनिया	प्रवक्ता विद्युत (एस.एस.)	एम.ई. 12.5.2010	26.2.99	26.2.2005	5 वर्ष	12.5.2010	-
	श्री कृष्णकुमार प्रजापत	प्रवक्ता विद्युत (एस.एस.)	एम.टेक 6.8.2008	26.8.96	26.8.2002	5 वर्ष	26.8.2007	-
	श्रीमती सविता शर्मा	प्रवक्ता सिविल (एस.एस.)	एम.ई. 30.10.08	16.12.96	16.12.02	5 वर्ष	30.10.2008	-

(iv) पूर्व में दिनांक 27.12.2010 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक के कार्यवृत्त में टंकण त्रुटि के कारण प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण तिथि संशोधित करने पर केरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ निम्नानुसार तिथि से देय होगा:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता/ सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी/ शैक्षणिक अधिकारी सीनियर स्केल देने की तिथि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता/ सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी/ शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) देने की तिथि के पश्चात् सी.ए.एस. के अन्तर्गत आवश्यक अनुभव अवधि	वरिष्ठ प्रवक्ता (पदोन्नत)/ प्रवक्ता/ सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी/ शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) को प्रवक्ता (सलेक्शन ग्रेड) देने की तिथि	सहायक निदेशक/ विभागाध्यक्ष पद पर नियमित पदोन्नति वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	श्री मनीष	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	एम.ई. 2006	4.9.95	4.9.2001	5 वर्ष	4.9.2006	
2	श्री विनोद पूनिया	प्रवक्ता कम्प्यूटर (एस.एस.)	बी.ई. 30.7.97	9.11.92	9.11.98	5 वर्ष	9.11.03	
3	श्री मनोहरकृष्ण I डोलिया	प्रवक्ता अतकनीकी (एस.एस.)	एम.फिल 28.2.90 पीएचडी 23.7.97	29.7.94	29.7.99	5 वर्ष	29.7.2004	


आज्ञा से,

( हरिसिंह )  
उप शासन सचिव, त.शि.



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग।
4. सचिव राजस्थान लोग सेवा आयोग अजमेर।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा जोधपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
अनुभागाधिकारी

R.R.C.T.A. (Technical)